

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः— मुसप्र/2015/ ७३९.

दिनांकः—८/१०/१५


आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड—झूंगरपुर के अधीन शिवाजी नगर झूंगरपुर आवासीय योजना में उपलब्ध अनिस्तारित आवासों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—तृतीय के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद्वद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	योजना का नाम	श्रेणी	आवास संख्या
1.	शिवाजी नगर, झूंगरपुर	EWS	L-18, L-45, L-50, L-70, L-73, L-74, L-75, L-79, L-81, L-82, L-83 = 11
		LIG	7/109, 7/110, 7/112, 8/67 = 04
		MIG-A	6/163= 01
		MIG-A duplex	7A-2, 7A-03, 7A-04= 03


अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत—उदयपुर नीलामी से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है एवं उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास नीलामी हेतु रिक्त नहीं है। उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार—प्रसार के माध्यम से किया जावें तथा आवासों का निस्तारण नीलामी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है।

उक्त आदेश पैरा संख्या 57—58 / एन पर सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—तृतीय, रा० आ० मा०, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, उदयपुर, रा०आ०म० उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड झूंगरपुर, रा०आ०म० झूंगरपुर।
8. ~~अयुक्त एनालिस्ट (निदेशक)~~, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक